ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS THEREON

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *91 TO BE ANSWERED ON 28TH JULY, 2021

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR YOUTH

*91. SHRI RAJMANI PATEL:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

- (a) whether any action has been taken by Government to provide employment opportunities to the youth of the rural areas of the country particularly after second wave lockdown due to the COVID-19 pandemic;
- (b) whether Government has any concrete plan for re-employment of those who have lost their employment due to the COVID-19 pandemic; and
- (c) if so, the details of the sectors for their re-employment and in what manner they will be re-employed?

ANSWER

MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BHUPENDER YADAV)

(a) to (c): A Statement is laid on the Table of the House.

*

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *91 DUE FOR REPLY ON 28-07-2021 REGARDING "EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR YOUTH" BY SHRI RAJMANI PATEL, M.P.

(a) to (c): Government has taken several initiatives to address the challenges and threats posed by Covid-19 pandemic. Financial package of more than Rs. Twenty seven lakh crore under "Aatma Nirbhar Bharat" has been provided inter-alia, to create employment opportunities including for the youth of the rural areas of the country.

In order to boost employment opportunity in the wake of COVID-19 related lockdown, Government of India had launched the Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan (GKRA) of 125 days on 20th June, 2020 to boost employment and livelihood opportunities for returnee migrant workers and similarly affected persons including youth in rural areas, in the wake of COVID-19 pandemic. The objectives of the Abhiyaan were to provide immediate employment & livelihood opportunities to the distressed, to saturate the villages with public infrastructure and creation of livelihood assets to boost the income generation activities and enhance long term livelihood opportunities by giving focus on 25 works (including works under Mahatma Gandhi NREGS) in 116 selected districts across 6 States of Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh. A total of 50.78 crore persondays employment has been generated during the Abhiyaan.

Apart from these, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (Mahatma Gandhi NREGS) being implemented by Ministry of Rural Development is a demand driven wage employment programme, which provides for at least one hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. During previous financial year 2020-21, 11.19 crore persons were provided employment and more than 389.23 crore person-days were generated. In current financial year 2021-22 (as on 26.07.2021), 6.64 crore persons have been provided employment and more than 133.99 crore person-days have been generated under Mahatma Gandhi NREGS.

Ministry of Rural Development is also implementing two skill development programmes for rural youth namely, Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) and Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) for increasing employability of rural youth either through wage or self-employment.

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship is implementing its flagship scheme Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), under Skill India Mission, for skill based training of the youth across the country including those from rural areas under Short Term Training (STT) courses and Recognition of Prior Learning (RPL).

Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY) has been launched w.e.f. 1st October, 2020 to incentivize employers for creation of new employment along with social security benefits and restoration of employment. This scheme being implemented through Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) seeks to reduce the financial burden of the employers and encourages them to hire more workers. Under ABRY, Government of India is providing for a period of two years, both the employees' share (12% of wages) and employers share' (12% of wages) of contribution or only employees' share of contribution depending on employment strength of the EPFO registered establishments, for new employees whose monthly wage is less than Rs. 15,000/- per month. The new employees under the scheme include those who lost their jobs during Covid-19 and didn't join in any EPF covered establishment upto 30.09.2020. The terminal date for registration of beneficiary under the scheme has been extended from 30th June, 2021 to 31st March, 2022 in view of the Covid-19 pandemic situation.

भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या-*91 बुधवार, 28 जुलाई, 2021/06 श्रावण, 1943 (शक)

युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर *91 श्री राजमणि पटेल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को विशेष रूप से कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण दूसरी लहर के लॉकडाउन के पश्चात् रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्रवाई की है;
- (ख) क्या सरकार के पास कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण रोज़गार गंवाने वाले लोगों को पुनर्नियोजित करने के लिए कोई ठोस योजना है; और
- (ग) यदि हां, तो उनका पुनर्नियोजन किन-किन क्षेत्रों में तथा किस प्रकार से किया जाएगा?

उत्तर श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर" के संबंध में श्री राजमणि पटेल द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 28-07-2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *91 के भाग (क) से (ग) के लिए दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और खतरों के समाधान के लिए अनेक पहलें की हैं। "आत्मिनर्भर भारत" के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सिहत रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय पैकेज प्रदान किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक उस ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, के लिए उन्हें कम से कम सौ दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 11.19 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया एवं 389.23 करोड़ से अधिक मानव-दिवसों का सृजन किया गया। चालू वित्तीय वर्ष, 2021-22 (26.07.2021 को) में महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत 6.64 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है तथा 133.99 करोड़ से अधिक मानव-दिवसों का सृजन किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण युवाओं के लिए मजदूरी या स्वरोजगार के माध्यम से उनकी नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए दो कौशल विकास कार्यक्रम नामतः दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) का भी कार्यान्वयन कर रहा है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लघु अवधि के प्रशिक्षण (एसटीटी) पाठ्यक्रमों तथा पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सिहत देश भर में युवाओं के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण हेतु कौशल भारत मिशन के अंतर्गत अपनी फैलगशीप योजना, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरो को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था, तािक कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सिहत प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। अभियान के लक्ष्य, संकटग्रस्त लोगों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करना, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ गांवों को संतृप्त करना और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आजीविका संपित्त का निर्माण करना और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में 25 कार्यों (महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत कार्यों सिहत) पर संकेन्द्रण करते हुए दीर्घकालिक आजीविका के अवसरों को बढ़ाना था। अभियान के दौरान कुल 50.78 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेत् 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, उन नए कर्मचारियों, जिनका मासिक वेतन 15000/- रुपए प्रतिमाह से कम है, के लिए कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं जो 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर इस योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Supplementary question; Dr. Amar Patnaik. ... (Interruptions)...

DR. AMAR PATNAIK: Sir, after the first wave, we found that there are a large number of people who are in the informal sector with different skills and there are a number of companies who want people with these skills. Is there a platform that is being contemplated by the Government of India to link both these aspects, that is, people with skills on the one side and the companies that need these skills? ...(Interruptions)...

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय उपसभापित जी, जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्लेटफार्म है, तो नेशनल कैरियर का एक हमारा डिजिटल प्लेटफार्म है, जिसमें इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. M. Thambidurai. ... (Interruptions)...

DR. M. THAMBIDURAI: ...(Interruptions)... already having the skills....(Interruptions)...

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, the question is not audible. Can the hon. Member kindly repeat it? There is so much noise here. ... (Interruptions)...

DR. M. THAMBIDURAI: They have said ... (Interruptions)...

श्री उपसभापति : माइक ऑन कीजिए प्लीज़। ...(व्यवधान)...

DR. M. THAMBIDURAI: ...(Interruptions)... graduated, well-trained people to get the employment opportunities. ...(Interruptions)...

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, may I request the hon. Member to repeat his question again? ... (Interruptions)...

DR. M. THAMBIDURAI: I would like to know from the hon. Minister whether there is any scheme to help already highly educated but unemployed people because even though there is the skill development programme, skilled people continue to remain unemployed. In this dire situation, would the Minister come forward to help the already qualified people? ...(Interruptions)...

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभापति जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा देश भर में नेशनल कैरियर काउंसिलिंग का जो सर्विस पोर्टल है, उसके माध्यम से विभिन्न

प्रकार के रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। ...(व्यवधान)... लेकिन इन प्रोफेशनल्स के अलावा अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर का एक बहुत बड़ा तबका है, जिसके बारे में भी यह बात उठती थी कि उनका भी पूरा डेटा तैयार किया जाना चाहिए, जिसके लिए एक अधिकृत राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसमें भी दोनों तरह के पोर्टल्स पर काम जारी है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 92; Shri G.C. Chandrashekhar.